

# न्यायालय अति.जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 88/2022 आवंटन निरस्त

1. राज्य सरकार जरिये बनाम  
तहसीलदार बिजौलिया  
जिला भीलवाड़ा

1. शंकर पुत्र रामा धाकड़ निवासी  
लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलिया

—प्रार्थी

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

उपस्थित -

1. राजकीय अधिवक्ता - प्रार्थी की ओर से
2. श्री दिनेश शिशोदिया अधिवक्ता - विपक्षी की ओर से

## निर्णय

दिनांक 25.11.2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) विरुद्ध विपक्षी के प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलिया की आ.न. 737/111 रकबा 0.6475 हैक्ट. भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटि के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकॉर्ड है। आवंटि (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटि का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय में दायर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। विपक्षी की ओर से जवाब पेश किया गया।

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विपक्षी को ग्राम लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलिया की आ.न. 737/111 रकबा 0.6475 हैक्ट. भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटि के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकॉर्ड है। आवंटि (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटि का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विपक्षी ने आवंटन शर्तों की पूर्ण पालना कर लगातार कृषि कार्य किया है। पटवारी हल्का द्वारा यदि निरन्तर जिन्सवारी नही की गयी है तो इसमें विपक्षी की क्या गलती है? राजस्व नियमावली के अनुसार आवंटि को राज. भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970) के नियम में किये गये संशोधन अनुसार आवंटित भूमि में आवंटि को तीन वर्ष पश्चात् स्वतः खातेदारी अधिकार प्रदत्त हो जाते हैं। खातेदारी अधिकार प्रदत्त

अति. जिला कलक्टर  
भीलवाड़ा